न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 180 / 2022

1 सन्तोष उम्र 71 साल पुत्री बृजलाल पत्नी कंवरसिंह जाति जाट निवासी जी. टी. सोनीपत सैक्टर 18 21 / 16 एल.डी.के. सोसायटी सोनीपत।
2 कमला उम्र 62 साल पुत्री बृजलाल पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14 रविन्द्रा कॉलेज के पास चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 वेदपाल शास्त्री पुत्र स्व. बृजलाल आर्य जाति जाट निवासी बी. 33 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
2 ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी डालमिया स्कुल के सामने गली में वार्ड नम्बर 14 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 दयानन्द पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी अजीतपुरा पोस्ट नुनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4 सत्यवीर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी अजीतपुरा पोस्ट नुनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 सुशीला उम्र व्यस्क पत्नी सत्यपाल
6 संदीप पुत्र सत्यपाल
7 आलोक पुत्र सत्यपाल
8 सुरेन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासी अजीतपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
9 कैलाश पुत्र खेताराम निवासी शेखपुरा ग्राम पंचायत स्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
10 बड़ौदा बैंक चिड़ावा जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
12 धर्मवृत शास्त्री पुत्र गणपतराम निवासी वार्ड नम्बर 1 इन्दिरा कॉलोनी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बुहाना मुकदमा उनवानी वेदपाल बनाम ओमप्रकाश मु.नं. 229/2022 उपखण्ड अधिकारी बुहाना मु.नं. 21/2017 उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2022

अपील संख्या 181/2022

1 ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी डालमिया स्कुल के सामने गली में वार्ड नम्बर 14 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 दयानन्द पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी अजीतपुरा पोस्ट नुनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 सत्यवीर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी अजीतपुरा पोस्ट नुनियां गोठड़ा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 वेदपाल शास्त्री पुत्र स्व. बृजलाल आर्य जाति जाट निवासी बी. 33 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
2 सुशीला उम्र व्यस्क पत्नी सत्यपाल
3 संदीप पुत्र सत्यपाल
4 आलोक पुत्र सत्यपाल
5 सुरेन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासी अजीतपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 कैलाश पुत्र खेताराम निवासी शेखपुरा ग्राम पंचायत स्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
7 बड़ौदा बैंक चिड़ावा जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
9 धर्मवृत शास्त्री पुत्र गणपतराम निवासी वार्ड नम्बर 1 इन्दिरा कॉलोनी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
10 सन्तोष उम्र 71 साल पुत्री बृजलाल पत्नी कंवरसिंह जाति जाट निवासी जी. टी. सोनीपत सैक्टर 18 21/16 एल.डी.के. सोसायटी सोनीपत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 कमला उम्र 62 साल पुत्री बृजलाल पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14 रविन्द्रा कॉलेज के पास चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बुहाना मुकदमा उनवानी वेदपाल बनाम ओमप्रकाश मु.नं. 229/2022 उपखण्ड अधिकारी बुहाना मु.नं. 21/2017 उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2022

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री वेदपाल शास्त्री, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री विकास बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 22.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 229/2022, 21/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट वेदपाल शास्त्री की ओर से राजस्व ग्राम शेखपुरा की भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

खसरा नम्बर 45 व 46 के संदर्भ में घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद संख्या 229/2022, 21/2017 प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलें पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वेदपाल ने एक दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का प्रस्तुत किया जिसमें स्व. बृजलाल की समस्त भूमियों का उल्लेख है परन्तु विचारण न्यायालय ने निर्णय केवल खसरा नम्बर 45 व 46 के बाबत किया सम्पूर्ण भूमियों का विभाजन विचारण न्यायालय को करना चाहिये था खसरा नम्बर 45 व 46 बाबत भी गलत निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वेदपाल शास्त्री ने दावा में गलत दर्ज किया कि गत खसरा नम्बर 995/1 की भूमि उसने क्रय की थीं जबकि खसरा नम्बर 995/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 2.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.03 हैक्टेयर की भूमि बृजलाल ने 1012.10 रू देकर कस्टोडियन से खरीदी थी तथा उसका पट्टा स्व. बृजलाल के नाम से निष्पादित हुआ था। उक्त भूमि स्व. बृजलाल की कयशुदा भूमि थी जिसमें कुआ संयुक्त परिवार की आये से बनवाया था तथा विद्युत संबंध में भी बृजलाल के सभी वारिसान के पैसे लगे थे विचारण न्यायालय ने उक्त भूमि बाबत बिना आधार के गलत निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष स्पष्टरूप से साक्ष्य था कि उक्त भूमि बृजलाल की थी इसलिये उक्त भूमि से स्व. बृजलाल के वारिसान ओमप्रकाश, दयानन्द व सत्यवीर तथा संतोष, कमला व विद्यावती के वारिसान को वंचित करने का कोई आधार नहीं है। खसरा नम्बर 45 व 46 बाबत प्रथम दृष्टया निर्णय व डिक्री गलत है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने वाद की धारा 2 में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि मानी है जिसके बाबत भी समुचित निर्णय पारित नहीं किया तथा खसरा नम्बर 45 व 46 की भूमि स्व. बृजलाल द्वारा क्रय की गयी थी उस समय रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की उम्र कमाने की ही नहीं थी वाद की धारा 2 में वर्णित भूमि व खसरा नम्बर 45 व 46 के बाबत प्रथम दृष्टया गलत निर्णय पारित किया है। उक्त दावा के निर्णय के मुताबिक कुछ वारिसान के हिस्से में कुछ भी भूमि नहीं आई। सत्यपाल के नाम जो भूमि खरीदी गयी वो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि भी संयुक्त परिवार की भूमि थी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 24.08.1986 के बंटवारे को आधार बनाया है जबकि उक्त बंटवारे पर स्व. बृजलाल के सभी वारिसान के हस्ताक्षर नहीं है। विद्यावती की मृत्यु के कारण उक्त बंटवारा हुआ ही नहीं था। भूमियों का बंटवारा सन् 1992 में हुआ था जिसको रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने छुपा लिया वर्ष 1992 का बंटवारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास है। खसरा नम्बर 332 के विकय पत्र ओमप्रकाश व दयानन्द के नाम है शेष समस्त भूमियां स्व. बृजलाल की रही है जिसमें बृजलाल के सभी वारिसान का बराबर बराबर हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं करने में गलती कानूनी की है विचारण न्यायालय के समक्ष दावा की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि जिसमें समस्त खसरों का उल्लेख नहीं है तथा दावा की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि के सभी सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जिसके अभाव में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने आवश्यक पक्षकारों के अभाव में निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त है। दावा में जो तनकीयात कायम की गयी थी उसमें तनकी संख्या 1, 2, 3 को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी पर था जिसके लिये रेस्पोडेन्ट ने अपने बयान व प्रदर्श 1 लगायत 46 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जिसमें एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं है कि वाद में वर्णित भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने स्वयं खरीदी हो इसलिये विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 45 व 46 के 1/2 हिससे का खातेदार घोषित करने में घोर गलती कानूनी की है वाद में वर्णित दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि खसरा नम्बर 45 व 46 की भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने कय की है या उसकी आय से कय करके पिता के नाम करवायी हो। खसरा नम्बर 45 व 46 में स्व. बृजलाल के सभी वारिसान का बराबर बराबर हिस्सा है। प्रदर्श 36 जो विभाजन दिनांक 24.08.1986 का कथन किया गया है वो वर्तमान में ग्राहय नहीं है उक्त लिखावट पर स्व. बृजलाल के सभी वारिसान के हस्ताक्षर नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जो साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया उससे खसरा नम्बर 45 व 46 भूमि स्व. बृजलाल की साबित होती है। इसलिये विचारण न्यायालय के समक्ष तनकी नम्बर 1 लगायत 3 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 साबित करने में असफल रहा है। फिर भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 लगायत 3 को निर्णय व डिक्री का आधार मानने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष स्व. बृजलाल का वंश वृक्ष रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
बदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

नम्बर 1 गलत प्रस्तुत किया है विचारण न्यायालय के समक्ष जो दावा प्रस्तुत हुआ उसमें सुरेन्द्र, सुधेन्द्र व संगीतारानी पक्षकार नहीं थे जो आवश्यक पक्षकार है। मुल रूप से दावा ही पोषणीय नहीं था फिर भी विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री कर दिया इसलिये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन व घोषणा का दावा था ना तो विचारण न्यायालय ने विभाजन किया तथा ना ही स्व. बृजलाल के वारिसान बाबत समुचित रूप से घोषणा की। दावा में प्राथमिक डिक्री जारी कर अंतिम डिक्री जारी करनी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने कानून की मंशा के विपरित जाकर आज्ञापक प्रावधानों की पालन किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने प्रतिदावा बाबत ना तो कोई तनकी बनाई तथा ना ही कोई समुचित निर्णय पारित किया विचारण न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं हैं। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 वेदपाल भास्त्री वादी द्वारा स्वयं के कब्जे कास्त में व्यवधान कारित किये जाने के कारण स्वय का हिस्सा 24.08.1986 प्रदर्श 36 के आधार विभाजित की हुई कृषि भूमि को विभाजित कराये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2007 को वाद घोशणा एवं स्थाई व्यादेश इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित 1/7 भाग की कृशि भूमियां पक्षकारों को पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त है तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 3 से 5 में वर्णित कृशि भूमियां वादी द्वारा स्वयं के पिताजी, माताजी व अनुज सत्यपाल के नाम से क्रय की गई, स्वार्जित कृशि भूमियों में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 4 से 7 समानांश 1/5 हित निहित है। 1971 में वादी के पिताजी का असामयिक निधन होने पर पिताजी के स्थान पर समस्त पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन वादी द्वारा ज्येश्ठ पुत्र की हैसियत से कर्ता के रूप में किया गया। दिनांक 24.08.1986 को पक्षकारों के मध्य सम्पन्न पारिवारिक विभाजन विलेख प्रदर्श–36 जिसका उल्लेख वादपत्र के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पैरा संख्या 7 में विस्तारपूर्वक अंकित है, के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्से में आयी कृषि भूमि सर्वे संख्या 332 अजीतपुरा की कृषि भूमि जिसे वादी द्वारा माताजी के नाम क्रय किया था, का राजस्व अभिलेख माताजी के नाम था, पूर्वोक्त प्रतिवादीगण द्वारा 24.08.86 के विभाजन प्रदर्श 36 मे उनके हिस्से मे आयी कृषि भूमि माताजी से स्वयं के नाम प्रतिफल विहीन विक्रय पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में मंगनाराम से प्रतिवादी 4 के पति तथा प्रतिवादी 5 से 7 के पिता स्व0 सत्यपाल के नाम वादी द्वारा क्रय की सत्यपाल के नामाभिलिखित पूर्वोक्त विभाजन मे प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से आयी भूमि का प्रतिफल विहीन विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा स्व. सत्यपाल से स्वयं के पक्ष निस्पादित कराये जाने, वादी के हिस्से में आयी कृशि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अवैध रूप से ऋण लेकर रहन रखते हुए राजस्व अभिलेख में स्वयं के नाम होने का अनुचित लाभ उठाकर वादी के हिस्से में आयी राजस्व ग्राम भोखपुरा के सर्वे संख्या 45, 46 का उत्तरी 1/2 भाग तथा सर्वे 42 के दक्षिण पश्चिमी 1/4 भाग, जिसे वादी द्वारा विभाजन विलेख 24.08.1986 प्रदर्श–36 के बाद क्रय किया है, पक्षकारों द्वारा स्वीकृत तथ्य है, के विभाजित उत्तरी 1/2 भाग के घोषणा विभाजन व स्थाई व्यादेश हेतु प्रस्तुत कर सर्वे संख्या 45, 46 के उत्तरी 1/2 भाग तथा सर्वे संख्या 42 के दक्षिणी पश्चिमी 1/4 भाग का खातेदार वादी तथा पूर्वोक्त संख्या 45, 46 के दक्षिणी 1/2 भाग व सर्वे संख्या 42 के उत्तरी पश्चिमी 1/4 भाग के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को घोषित किया जाकर तदनुसार विभाजित कृषि भूमियों के सर्वे संख्या एवं लगान निर्धारित किये जाने एवं पूर्वोक्त विभाजन के अनुसरण में पृथकशः सर्वे संख्या एवं लगान निर्धारित किया जाकर समस्त राजस्व अभिलेख संशोधनार्थ तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किये जाने तथा प्रतिवादी बैक की रहन की प्रविष्टि वादी के हिस्से से हटाये जाने के अनुतोष की याचना के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के हिस्से की कृशि भूमियों में प्रतिवादीगण के प्रवेश न किये जाने हेतु प्रतिबन्धित कर वादी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार का व्यवधान कारित न किये जाने का स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा है।उक्त वाद न्यायालय उपखण्ड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी चिड़ावा में के वाद संख्या 145/2007 दर्ज कर सूचनाएं प्रसारित की गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 से 10 सूचित होने के उपरान्त अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध दिनांक 08.06. 2007, 26.10.2007 एवं 29.06.2007 को एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 द्वारा उत्तरवाद प्रस्तुत कर स्वयं के उत्तर मे पैरा संख्या 7 (1) (2) (4) (5) 12 एवं 13 में पारिवारिक विभाजन दिनांक 24.08.1986 प्रदर्श–36 को स्वीकारते हुए स्वयं के उत्तर वाद के पैरा संख्या 14 में सर्वे संख्या 42 के 1/4 भाग विभाजन के बाद वादी द्वारा कय किया जाना एवं उसके दक्षिण–पश्चिमी 1/4 भाग पर वादी का कब्जा स्वीकारते हुए वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा वादी के विभाजन में आयी भूमि कय किया जाना कथित कर प्रतिदावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी का हिस्सा कय किये जाने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाया जाकर 1992 के विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हित सुरक्षित रखे जाने का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी संख्या 11 से 13 में स्वयं के उत्तर में पारिवारिक विभाजन को अस्वीकार करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाना निवेदित किया। उन द्वारा स्वयं के हित अथवा हिस्से की मांग नहीं की गई। प्रतिवादीगणं द्वारा प्रस्तुत उत्तरवाद एवं प्रतिदावें का उत्तर वादी द्वारा प्रस्तुत कर वाद का विवाद्यक बिन्दु वादपत्र के पैरा संख्या 13 व अनुतोष तथा प्रत्युत्तर के पैरा संख्या 1 से 14 व प्रतिदावें के उत्तर में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमियों में हित निहित न होना, वादी की आय का स्त्रोत प्रकट कर दिनांक 24.08.1986 को समस्त कृषि भूमिया सभी भाईयों में समानांश विभाजित किया जाना, उक्त विभाजन 5 प्रतियों में तैयार कर पांचों प्रतियां पाचों भाईयों द्वारा हस्ताक्षरित होना। सन् 1986 का विभाजन कभी भी स्थगित न होकर आज भी प्रभावशील होना, वादी द्वारा स्वयं का हिस्सा किसी को विक्रय नहीं जाना, प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के उत्तरवाद में पैरा संख्या 10 में 1992 के बंटवारें में दोनो दुकानों का विभाजन अंकित होने का कथन करते हुए, प्रतिवादीगण द्वारा 31.12.1993 प्रदर्श–35 नगरपालिका चिड़ावा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दुकानों का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विभाजन न होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत से स्पष्ट है कि 1992 में कोई विभाजन नहीं हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर के पैरा संख्या 9 में वादी की तरफ 8 लाख रूपये बकाया होने के मिथ्या आरोप प्रति उत्तर के पैरा संख्या 9 में विस्तारपूर्वक दिया गया है। सत्यपाल की मृत्यु के पश्चात स्व. सत्यपाल प्रतिवादी संख्या 4 के पति एवं 5 से 7 के स्व. पिता द्वारा ऋषि शर्मा से उधार लिये गये 1 लाख रूपये की वसूली का वाद ऋषि शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उक्त वाद में पूर्वोक्त स्व. सत्यपाल के उत्तराधिकारियों द्वारा अपर जिला न्यायालय में प्रस्तुत उत्तर दिनांक 25.01.2006 प्रदर्श–34 में 50 हजार रूपये वादी की ओर बकाया होना तथा हस्तगत राजस्व वाद में प्रस्तुत उत्तर दिनांक 28.09.2007 के पैरा संख्या 9 में 8 लाख रूपये वादी की ओर बकाया होना आधारहीन विरोधाभाशी कथन प्रतिवादीगण के निराधार उत्तर व उत्तरवाद प्रस्तुत करने के प्रतीक है। फलस्वरूप "परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती" "ख्यालीपुलाव न्याय" के अनुसरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तरवाद एवं प्रतिदावा मिथ्या होने का प्रमाण है। 24.08.1986 का विभाजन प्रदर्श–36 प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य है। फलस्वरूप 1992 में तथाकथित कोई बंटवारा न होना प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 द्वारा अनावश्यक प्रस्तुत किया जाकर वाद में वादग्रस्त कृषि भूमियों में पूर्वोक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादी का कमशः 1/2 व 1/4 हिस्सा स्वीकृत तथ्य है। प्रतिदावा वैध रूप से प्रस्तुत न होने के कारण उदाहरणीय व्यय सहित निरस्त किया जाना निवेदित किया। प्रतिवादीगण द्वारा 24.06.1986 को विभाजन स्वीकार किए जाने के कारण केवल 6 तनकी बनायी, विभाजन की तनकी नही बनाई गई। वादी द्वारा वाद के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य प्रस्तुत कर 51 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराये। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं का ही साक्ष्य लेखबद्ध कराते हुए किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर 6 तनकी विधि अनुकूल निर्णित कर वाद डिक्री कर वादी एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 व 8 को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के निर्णय व डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 29.9.22 से व्यथित एक ही निर्णय के विरूद्ध अपील संख्या 180/2022 संतोष व कमला द्वारा तथा अपील संख्या 181/2022 ओमप्रकाश, दयानन्द व सत्यवीर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत की है। दोनों ही अपील अपीलार्थीगण द्वारा समान आधारों पर प्रस्तुत है, के आधारों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है:– (क). वादग्रस्त कृषि भूमिया वादी द्वारा पैत्रिक स्वीकारं की गई है, के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय का ध्यान वाद के पैरा संख्या 3 की और आकर्षणीय है, के अनुसार वाद ग्रस्त कृषि भूमि स्वार्जित है। (ख). समस्त कृषि भूमियो का विभाजन न किया जाना वाद का विवाद्यक विषय वाद पत्र के पैरा संख्या 13 व अनुतोष में वर्णितानुसार दिनांक 24.08.86 के विभाजन (भाई बंटवारा) प्रदर्श 36 प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उत्तर वाद के पैरा संख्या 7 में स्वीकार किया है, पैरा 7 के 1–5 की ओर माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षणीय है, के अनुसार समस्त कृषि भूमियों का विभाजन एवं समानांश किया गया है, के आधार पर 1986 के विभाजन के अनुसार वादी के कब्जे कास्त की प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी हिस्से की विभाजित एवं सुनिश्चित व सुस्पष्ट उत्तरी 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 4–7 का दक्षिणी 1/2 के विभाजन के वाद में वांछित कृषि भूमि विभाजित की है, 24.08.86 के विभाजन में पक्षकारों को पैत्रिक उत्तराधिकार में प्राप्त वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित कृषि भूमियां माताजी के पक्ष में विभाजित की जाकर उनके हिस्से में आने के कारण समस्त कृषि भूमियां का विभाजन है, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उत्तर वाद के पैरा संख्या 7 के 1–4 में स्वीकारते हुए पैरा 7(5) में माताजी का विभाजन स्वीकार किए जाने के कारण समस्त कृषि भूमियों को विभाजित किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (ग). सभी पक्षकारों को समानांश न दिया जाना पूर्व वर्णित वर्णन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन विलेख दिनांक 24.08.86 प्रदर्श 36 स्वीकारने के कारण तथा स्वयं के उत्तर वाद में उक्त आक्षेप न किए जाने तथा उक्त आशय के किसी वादपद (तनकी) के अभाव में समानांश विभाजित है। (घ). वादी की कृषि भूमि क्रय करने की क्षमता न होना पूर्णतया मिथ्या अंकित है, माननीय न्यायालय का ध्यान प्रत्युत्तर एवं प्रतिवाद के पैरा संख्या 3 में अंकितानुसार

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1969 में वादी शिक्षा विभाग हरियाणा में द्वितीय वेतन श्रृखला में सेवारत होकर 600/रूपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहा था, उस द्वारा वाद ग्रस्त कृषि भूमि की प्रतिफल राशि प्रदर्श 9 में अंकित 1012.10/रूपये अक्षरे एक हजार बारह रूपये दस पैसे में क्रय की क्षमता किसी प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण की मौन सहमति है, कि वादी की कृषि भूमि क्रय करने की क्षमता थी। (ड़). 1992 के बंटवारे पर ध्यान न देना किसी साक्ष्य के अभाव में अस्तित्व विहीन बंटवारे का अपील में आश्रय लिया जाना निराधार है, माननीय न्यायालय का ध्यान प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तरवाद के पैरा संख्या 7(2)–1992 के बंटवारे में चिड़ावा स्थित दुकानों के बंटवारे का उल्लेख ओमप्रकाश अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भापथ पत्र प्रदर्श 40 पैरा संख्या 4 की ओर आकर्षणीय है, जिसमे दुकानो के बंटवारे का उल्लेख किया, प्रतिवादीगण नगरपालिका चिड़ावा में 1992 के एक वर्ष के बाद आवेदन पत्र दिनांक 31.12.1993 में प्रदर्श 35 में चिड़ावा स्थित दुकानों का विभाजन न होना अंकित किए जाने से 1992 का किसी प्रकार का विभाजन न होना प्रमाणित है। (च). विभाजन (भाई बंटवारा दिनांक 24.08.1986) प्रदर्श 36 की ग्राह्यता प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उत्तर के पैरा संख्या :–7(1). 24.08.86 को बंटवारा हुआ था, 24.08.86 को भाई बंटवारे में ग्राम शेखपुरा स्थित खेत व कूए में 1/2 हिस्सा वादी को देना तय हुआ। 7(2). भाई बंटवारे के हिसाब से इस भूमि सर्वे संख्या 332 की रजिस्ट्री माताश्री ने 1993 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम करवायी थी। शेखपुरा की भूमि खसरा संख्या 45 व 46 का 1/2 भाग वादी के नाम 1986 में आया था। 7(4). दिनांक 24.08.1986 को हुए पारिवारिक विभाजन में राजस्व ग्राम शेखपुरा खसरा नंबर 45,46 का दक्षिणी 1/2 भाग सत्यपाल के नाम होना स्वीकार है। 7(5). माताश्री श्रीमती सदाकोर के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रस्तुत किये है, वह स्वीकार्य है, फलस्वरूप उक्त विभाजन प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किए जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.19 के माध्यम से प्रदर्श 36 के रूप में प्रदर्शित किये जाने की अनुमति के आधार पर विभाजन (भाई बंटवारा) साक्ष्य में ग्राह्य है। ए.आई.आर 1981 एस.सी.2085 स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हैं। (छ). प्रांरभिक ड़िक्री प्रदर्श 36 पारिवारिक विभाजन दिनांक 24.08.86 के अनुसरण में वादी का वाद ग्रस्त सर्वे संख्याओं के 1/2 उत्तरी भाग पर सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट कब्जा होने के कारण प्रारंभिक ड़िक्री जारी किया जाना अपेक्षित न होने के कारण व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 18 में विहितानुसार अन्तिम ड़िक्री जारी किया जाना विधि सम्मत है, प्रारम्भिक ड़िक्री किया जांना आज्ञापक प्रावधान नही है। (ज). प्रतिवाद की तनकी बनाकर निर्णीत न करना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से तनकी संख्या 4 निर्मित की जाकर 1992 का विभाजन प्रस्तुत न होने, प्रतिवाद में स्वंय की खातेदारी का अनुतोष न चाहकर प्रतिवादी संख्या 1–7 का हित सुरक्षित करवाये जाने का अनुतोष चाहने, काउंटर क्लेम ओमप्रकाश, दयांनद द्वारा सत्यापित न किए जाने, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तरवाद व शपथ पत्रों में 1992 के विभाज़न में चिड़ावा स्थित दुकानों के बंटवारे का कथन किए जाने किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत 31.12.1993 को नगरपालिका चिड़ावा में प्रस्तुत प्रदर्श 35 में 1992 के एक वर्षाधिक अवधिपश्चात प्रस्तुत आवेदन में प्रतिवादीगण द्वारा दुकानों का विभाजन न होना अंकित किए जाने के फलस्वरूप प्रतिवादीगण की स्वीकृति है,1992 का विभाजन नही हुआ, तथा विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में उक्त आधार अस्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा अपील के समस्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के प्रतिकूल, निराधार व काल्पनिक होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन हेतु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत तनकीवार निम्नांकित निवेदनीय है:– वादपद/तनकी संख्या 1– आया वादी सर्वे संख्या 45 व 46 ग्राम शेखपुरा के उत्तरी 1/2 भाग तथा सर्वे संख्या 42 राजस्व ग्राम शेखपुरा के दक्षिण–पश्चिम 1/4 भाग का खातेदार कास्तकार है। वादी उक्त तनकी का प्रमाण भार वादी पर है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 51 एवं अपने साक्ष्य से वाद को प्रमाणित किया है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के उत्तरवाद के पैरा सं. 4 व 5 मे अजीतपुरा की सर्वे सं. 332 एवं मंगनाराम का 1/7 हिस्सा संयुक्त परिवार की आमदनी से खरीदना तथा उक्त भूमियों मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

1 से 7 का समानांश हित निहित होना स्वीकृत तथ्य है पूर्वोक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर के पैरा संख्या 7 (2) मे सर्वे संख्या 332 अजीतपुरा स्थित कृषि भूमि माताश्री सदाकोर के नाम से सयुक्त परिवार में क्रय किया जाकर, भाई बंटवारा दिनांक 24.08.86 प्रदर्श 36 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आने के कारण 1993 में उक्त भूमि का विक्रय पत्र माताजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ओमप्रकाश व दयानन्द द्वारा स्वयं के पक्ष में प्रतिफल विहीन निष्पादित कराया जाना, पैरा संख्या 7(3) में 1986 के बंटवारे प्रदर्श 36 के अनुसार सत्यवीर के पक्ष में सत्यपाल से प्रतिफल विहीन विक्रय पत्र प्रतिवादी सत्यवीर द्वारा स्वंय के पक्ष में, निष्पादित कराया जाना, पैरा संख्या 7(4) में दिनांक 24.08.1986 को हुए विभाजन प्रदर्श 36 के अनुसार सर्वे संख्या 45 व 46 का दक्षिणी 1/2 भाग सत्यपाल के हिस्से में आना, पूर्वोक्त विभाजन प्रदर्श 36 में वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि वादी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा क्रय किया जाना, पक्षकारों के मध्य समानांश विभाजन को स्वीकारते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किये जाने का सूचक है। पूर्ववर्णित उत्तरवाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के शपथ पत्रों से भी प्रमाणित किया है, पैरा संख्या 14 ग्राम शेखपुरा की कृषि भूमि सर्वे संख्या 42 क्षेत्रफल 1.8300 हैक्टर का आधा भाग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पति एवं 5 से 7 के पिता द्वारा पारिवारिक विभाजन के पश्चात् क्रय किया जाना, इस सर्वे संख्या के दक्षिण–पश्चिमी 1/4 भाग पर वादी का कास्त काबिज होना, प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उत्तरवाद में स्वीकृत तथ्य है। वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमियों की फसल स्थानीय व्यक्तियों को विक्रय की जाती है। कृषि उपज मण्ड़ी में विक्रय की गई सरसों, चना, गेंहू आदि फसल विक्रय किये जाने की खरीद की प्रदर्श 10–14 की व लगान खरीद प्रदर्श 51 पत्रावली पर उपलब्ध, को प्रश्नगत न किए जाने के कारण प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति है कि उक्त भूमि वादी के कब्जे कास्त की होने का प्रमाणक साक्ष्य है। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्वोक्त विभाजन विलेख प्रदर्श 36 को स्वीकारते हुए 1992 में पुनः विभाजन होना कहते हुए वादी के हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे संख्या 45 व 46 राजस्व ग्राम शेखपुरा का प्रतिवादी संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 व 2 द्वारा खरीदना कहा है, के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य अथवा साक्ष्य का पूर्णतया अभाव है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उत्तरवाद के पैरा संख्या 10 में 1992 के बंटवारे में चिड़ावा स्थित दोनों दुकानों के बंटवारे का उल्लेख होना कथित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण द्वारा नगर पालिका चिड़ावा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.1993 प्रदर्श 35 के प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षरित अपनी जिरह में स्वीकृत, पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र 31.12.1993, सन् 1992 वर्ष के बाद का है, में प्रतिवादीगण द्वारा दुकानों का विभाजन 31.12.1993 तक न होना स्वीकृत तथ्य है। सर्वे संख्या 42 वादी द्वारा विभाजन के बाद क्रय किया जाना तथा उसके दक्षिणी–पश्चिमी 1/4 भाग पर वादी का कास्त काबिज होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के साक्ष्य के आधार पर वादी इस तनकी को प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणाम स्वरुप राजस्व ग्राम शेखपुरा के सर्वे संख्या 45 व 46 के उतरी 1/2 भाग तथा सर्वे संख्या 42 के दक्षिणी–पश्चिमी 1/4 भाग का वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर उक्त तनकी वादी के पक्ष में वैध रूप से निर्णीत की है,साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 53 व 121 मे विहित प्रावधान के अनुसरण मे प्रतिवादी संख्या 1–7 द्वारा स्वयं के उत्तरवाद एवं न्यायालय मे प्रस्तुत साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्रों द्वारा विभाजन विलेख प्रदर्श 36 को स्वीकार किया है। उनकी स्वीकारोक्ति के कारण ही विभाजन के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की तनकी भी नही बनायी गई। यद्यपि उक्त प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे जिरह के समय स्वयं के उत्तरवाद व शपथ पत्र वकील द्वारा गलत लिखे जाने का कथन करते हुए स्वयं के वकील के कदाचरण के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न किया जाना तथा भविष्य मे भी न किए जाने की स्वीकृति प्रतिवादीगण की मौन सहमति है,कि उत्तरवाद एवं न्यायालय मे प्रस्तुत समस्त शपथ पत्र उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के कथनानुसार ही तैयार कर प्रस्तुत किए गये है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण न्यायालय मे प्रस्तुत उत्तरवाद तथा शपथ पत्रों से विबन्धित है। परिणाम स्वरूप वादी स्वय के खातेदारी कास्त की घोषणा का विभाजन का अनुतोष प्राप्त कर प्रतिवादीगण को स्थायी व्यादेश से पाबन्द कराने हेतु वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादग्रस्त कृषि भूमि के स्वयं के हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित कराकर उसे विभाजित कराने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है। पारिवारिक विभाजन प्रदर्श 36 प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत एवं मूल पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण 30 वर्षाधिक विभाजन विलेख प्रदर्श 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 92 व 121 के अनुसरण मे उक्त पारिवारिक विभाजन प्रदर्श 36 से विबन्धित है, कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के अधिकार अधियोग, आधिपत्य व खातेदारी की है, वैध रूप से निर्णीत है। वादपद/तनकी संख्या 2–आया वादपद (तनकी) संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियों के उतरी अर्धाश एवं दक्षिणी पश्चिम में 1/4 भाग को पूर्वोक्तानुसार विभाजित कराकर वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है वादी वादपद संख्या 1 में विस्तारपूर्वक वर्णित वर्णन के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे संख्या 45 व 46 के उतरी 1/2 भाग तथा सर्वे संख्या 42 के दक्षिणी–पश्चिमी 1/4 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। फलस्वरूप तदनुसार वादी पूर्वोक्त कृषि भूमि विभाजित कराने का अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी होने के कारण तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में वैध रूप से निर्णीत की है। वादपद/तनकी संख्या 3 आया सर्वे संख्या 45 व 46 ग्राम शेखपुरा की वादग्रस्त कृषि भूमियों पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 बैंक से ऋण नही लिये जाने के कारण उक्त सर्वे संख्याओं के वादी के उत्तरी 1/2 भाग को प्रतिवादी संख्या 9 बैंक की रहन की प्रविष्टि हटाई जाकर वादी का पूर्वोक्त हिस्सा रहन मुक्त किया जावें। वादी परिवारिक विभाजन दिनांक 24.08.1986 प्रदर्श 36 प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत, में वर्णित अनुसार राजस्व ग्राम शेखपुरा के सर्वे संख्या 45 व 46 का उत्तरी भाग वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि के 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 बैक से ऋण लिया जाना अवैध है। पक्षकारों के मध्य दिनांक 24. 08.1986 को सम्पन्न हुए विभाजन प्रदर्श 36 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 से प्रदर्शित, प्रतिवादी संख्या 1–7 द्वारा स्वंय के उत्तरवाद एवं शपथ पत्रों द्वारा स्वीकृति के अनुसार सर्वे संख्या 45 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

46 शेखपुरा का उत्तरी 1/2 हिस्सा वादी का है, से ऋणग्रहीता प्रतिवादीगण भलीभाति सुपरिचित होने के उपरान्त उनका नाम राजस्व अभिलेख में होने का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी बैक से अवैध रूप से ऋण लेकर वादी का हिस्सा रहन किया जाना अवैध था। प्रतिवादीगण ऋण लेते समय भलीभाति सुपरिचित थे, कि सर्वे संख्या 45 व 46 शेखपुरा का उत्तरी 1/2 भाग उनका न होकर वादी का है। उन द्वारा ऋण लेना तथा बैंक द्वारा भोतिक सत्यापन के अभाव में ऋण देना सही नही था। फलस्वरूप वादी द्वारा ऋण न लिए जाने के कारण पूर्वोक्त संख्याओं के वादी के हिस्से को रहन मुक्त किया जाना उचित होने के कारण उक्त वादपद वादी के पक्ष मे सही निर्णीत किया है। प्रतिवादी बैंक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित है। बैंक द्वारा एक पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर स्वंय के ऋण का संरक्षण चाहा है। फलस्वरूप बैंक की राशि को संरक्षित किया जाना आवश्यक होने के कारण प्रतिवादी बैंक प्रतिवादीगण की अजीतपुरा स्थित वादपत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित कृषि भूमि या अन्य सम्पत्तियों को रहन कर स्वंय के ऋण का भुगतान प्रतिवादीगण से सुनिश्चित करे। वादग्रस्त कृषि भूमियों वादी के 1/2 सुनिश्चित हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से लिए गये ऋण की रहन प्रविष्टि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से हटाये जाने का आदेश वैध रूप से दिया गया है।

वादपद/तनकी संख्या 4 आया वादपद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियो में का वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 1992 में क्रय किये जाने के कारण राजस्व अभिलेख से वादी का नाम हटाया जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा मे 1992 के विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1–7 के अधिकार सुरक्षित करवाये जाने का अनुतोष चाहा है। 1992 का विभाजन प्रस्तुत नही हुआ। तथाकथित 1992 के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी का 1/2 हिस्सा विभाजन विलेख दिनांक 24.08.86 प्रदर्श 36 से वादी को प्राप्त, क्रय किया जाना कहते हुए स्वयं की खातेदारी का अनुतोष न चाहते हुए प्रतिवादी संख्या 1–7 के हित सुरक्षित रखे जाने का अनुतोष चाहने, प्रतिवादी ओमप्रकाश व दयानन्द द्वारा स्वयं की जिरह मे काउण्टर क्लेम सत्यापित न किया जाना शपथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पूर्वक स्वीकार किए जाने, धर्मव्रत भास्त्री द्वारा स्वयं 1992 का बंटवारा न होना शपथपूर्वक कथन किए जाने, काउण्टर क्लेम का सत्यापन ओमप्रकाश व दयानन्द द्वारा न किए जाने आदि प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के उत्तरवाद एवं शपथ पत्रों मे 1992 के विभाजन मे चिडावा स्थित दोनों दुकानों के बंटवारे का कथन कहा है, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा 31.12.93 को नगरपालिका चिडावा मे प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श –35 मे 1992 के 1 वर्षाधिक पश्चात प्रस्तुत आवेदन मे प्रतिवादीगण द्वारा दुकानों का विभाजन न होना, अंकित करना प्रतिवादीगण की स्वीकृति है कि –1992 का किसी प्रकार का कोई विभाजन नही हुआ। धर्मव्रत शास्त्री द्वारा स्वयं के शपथ पत्र प्रदर्श 48 के पैरा संख्या 2 मे उक्त विभाजन का उल्लेख किया है परन्तु इस साक्षी द्वारा स्वयं की जिरह मे उक्त पैरा 2 अशुद्ध लिखा होना स्वीकारते हुए 1992 के तथाकथित बंटवारे को अस्वीकार किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 व 115 में विहित प्रावधान के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1–7 द्वारा स्वंय के उत्तरवाद एवं न्यायालय में साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों द्वारा विभाजन विलेख प्रदर्श 36 को स्वीकार किया है। उनकी स्वीकारोक्ति के कारण ही विभाजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तनकी भी नही बनाई गई। प्रतिवादीगण किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वंय के मौखिक साक्ष्य से 1992 के विभाजन को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप उक्त वादपद संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में सही निर्णीत किया है। वादपद/तनकी संख्या –5 आया वादग्रस्त कृषि भूमियां पैतृक होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 11 से 13 वादग्रस्त सम्पत्तियों मे हित निहित है। वादपत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णितानुसार वादग्रस्त कृषि भूमि स्वार्जित कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि का प्रतिफल राशि का चालान प्रदर्श 9 के माध्यम से वादी द्वारा जमा करायी है, प्रदर्श 9 के हस्ताक्षर के कॉलम मे क से ख हस्ताक्षर वादी के हैं वादी से उक्त प्रतिफल राशि वादी द्वारा जमा कराने के सम्बन्ध मे किसी प्रतिकूल प्रतिपृच्छा के अभाव में प्रदर्श 9 प्रतिवादीगण की स्वकारोक्ति है। फलस्वरूप वादग्रस्त कृषि भूमियां स्वार्जित हैं। वाद का विवाद्यक विषय वाद के पैरा संख्या 13 एवं अनुतोष मे वर्णितानुसार सर्वे संख्या 45,46 व 42 राजस्व ग्राम शेखपुरा की कृषि भूमियों तक सीमित हैं। वाद मे पैतृक उत्तराधिकार मे प्राप्त कृषि भूमि का अंकन पैरा संख्या 2 मे ही है। यह बडी हास्यास्पद विचित्र स्थिति है कि प्रतिवादी संख्या 11 से 13 वादी के हिस्से की सर्वे संख्या 45 व 46 राजस्व ग्राम शेखपुरा के 1/2 भाग कृषि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि वादी की स्वार्जित कृषि भूमि मे हित निहित होना कथित कर रहे है। वादी द्वारा स्वयं के शपथपत्र मे पारिवारिक विभाजन 24.08.1986 से प्रतिवादी संख्या 11 से 13 पूर्णतया सुपरिचित होना भापथपूर्वक कथित किया है, को अस्वीकार न किये जाने के कारण उनकी मौन सहमति है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि से पूर्णतया असम्बद्ध है। वादपत्र मे अंकित पैतृक उत्तराधिकर मे प्राप्त कृषि भूमियों मे हिस्सा न मांगना केवल मात्र वादी के हिस्से की भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने की मांग भी ध्यातव्य है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 9 व्य. प्र.सं. दिनांक 10.02.2017 मे स्वर्गीय विद्यावती के पति प्रतिवादी संख्या 11 को उत्तराधिकार मे कोई हिस्सा न मिलना लिखित स्वीकृति है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा स्व. विद्यावति के विधिक प्रतिनिधियों को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाये जाने के निवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी संख्या 2017/2997 ओमप्रकाश विरूद्ध वेदपाल शास्त्री व अन्य के निर्णय दिनांक 01.06.2017 प्रदर्श 37 विद्यावती अभिलिखित खातेदार न होने के कारण विभाजन के वाद मे आवश्यक पक्षकार न होना निर्णीत किया जा चुका है। उक्त निर्णय को आदिनांक चुनोति न दिए जाने के कारण उनकी मौन सहमति है कि प्रतिवादी संख्या 11–13 प्रकरण मे हित निहित पक्षकार न होने के कारण उक्त वाद से पूर्णतया असम्बद्ध होने के कारण उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध सही निर्णित की है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मे निहित होने के दुराशय से वाद खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है। स्वयं की खातेदारी की मांग नही की गई है। फलस्वरूप वादी द्वारा स्वयं के शपथपत्र मे उनके स्वर्गीय पिताजी द्वारा 50,000/– रूपयें का ऋण छोडा जाना पवित्र दायित्व के तहत भूमि विकास बैंक प्रदर्श 15–26 के माध्यम से वादी द्वारा उक्त ऋण का भुगतान किया जाना,जमादार भगवानाराम आदि आदि विभिन्न व्यक्तियों से स्वं पिताजी द्वारा लिये ऋण के भुगतान की चर्चा प्रतिवादी संख्या 11 से 13 द्वारा कभी भी न किया जाना, स्वर्गीय पिताजी की मृत्यु के 4 दशक पश्चात वादी के हिस्से मे आयी भूमि के वादी के वाद मे हित निहित न होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा जाना, वादग्रस्त कृषि भूमियों से प्रतिवादीगण का पूर्णतया असम्बद्ध होना प्रमाणित होने के कारण उक्त वादपद/तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की है। वादपद/तनकी संख्या 6 अनुतोष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पूर्व वर्णित विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत निराधार एवं वैध रूप से प्रस्तुत न किया गया प्रतिदावा अस्वीकार किया जाना वैध रूप से निर्णीत किया है। प्रतिवादी संख्या 11 से 13 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 प्रदर्श 37 के अनुसार वे प्रकरण मे हित निहित पक्षकार न होने, तथा उन द्वारा केवल मात्र वाद को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहे जाने के कारण वाद वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वादी को सर्वे संख्या 45 व 46 के उत्तरी 1/2 भाग व सर्वे संख्या 42 के दक्षिण –पश्चिमी 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को सर्वे संख्या 45 व 46 के दक्षिण 1/2 भाग का तथा सर्वे संख्या 42 के उत्तर पश्चिमी 1/4 भाग का खातेदार कास्तकार वैध रूप घोषित किया है, तदनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि विभाजित की जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया है, कि वे वादी के खातेदारी कास्त की सर्वे संख्या 45 व 46 शेखपुरा के उत्तरी 1/2 भाग व सर्वे संख्या 42 शेखपुरा के दक्षिण पश्चिमी 1/4 भाग मे प्रवेश न करें तथा वादी के अधिकार अभियोग व आधिपत्य मे किसी प्रकार का व्यवधान कारित न करे। तहसीलदार चिडावा को आदेशित किया है, कि वह पूर्व वर्णित अनुसार वादी की खातेदारी काश्त की कृषि भूमियों का राजस्व अभिलेख संशोधित कर तदनुसार उक्त कृषि भूमियों को विभाजित कर पृथकशः सर्वे संख्या एवं लगान निर्धारित कर वादी के उत्तरी 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा लिये गये ऋण से रहन मुक्त कर रहन की प्रविष्टि हटाकर समस्त राजस्व अभिलेख संशोधित कर देवें। प्रतिवादी संख्या 9 को आदेशित किया है, कि सर्वे संख्या 45 व 46 शेखपुरा पर प्रतिवादीगण को दिये गये ऋण की सुरक्षा हेतु वह प्रतिवादीगण की अजीतपुरा, भोखपुरा की अन्य कृषि भूमियों या चिडावा मे स्थित अन्य सम्पत्तियों को रहन कर स्वयं के ऋण को सुरक्षित किया जाना वैध रूप से निर्णीत कर डिक्री पारित की है। प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से फलस्वरूप उसे न्यायालय के निर्णय से सूचित किया जाना वैध रूप से निर्णीत कर वाद में अन्तिम डिक्री पारित की है। अतः लिखित बहस सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है,कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक एवं विधिकत विचारोपरान्त न्याय हित में विभाजन प्रदर्श 36 वादी एवं प्रतिवादी सख्यां 4–7 के हिस्से मे आयी कृषि भूमि सर्वे सख्यां 45 व 46 राजस्व ग्राम शेखपुरा की विभाजित कृषि भूमियों के विभाजन की घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद मे व्यवहार प्रक्रिया संहिता अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे विहित प्रावधान के अनुसार पूर्वतः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1986 से विभाजित पृथकतः कब्जे काश्त की विद्यमानता मे पारित निर्णय एवं डिक्री मे प्रारभिक डिक्री पारित किया जाना विहित न होने के कारण अंतिम डिक्री व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 18 विहितानुसार प्रकरण मे पक्षकारों के मध्य सम्पन्न विभाजन (भाई बंटवारा) प्रदर्श 36 वादोत्तर मे स्वीकृत तथ्य है, वादग्रस्त सर्वे सं. 45, 46 व 42 का वादी के हिस्से 1/2 उत्तरी भाग सुनिश्चित सुस्पष्ट एवं स्वीकृत होने के कारण प्रारभिक डिक्री अपेक्षित न होने के कारण अंतिम डिक्री वैध रूप से पारित कर भाई बंटवारा विभाजन प्रदर्श 36 के विभाजन की घोषणा वैध रूप कारित की गई है, परिणाम स्वरूप 18 वर्ष से स्वंय के कब्जे कास्त भूमि के विभाजन हेतु लम्बित प्रकरण का निस्तारण माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल के निर्णय दिनांक 01.06.2017 प्रदर्श 37 आदिनांक प्रभावशील है, के परिपेक्ष्य में अपील संख्या 180/2023 के अपीलार्थीगण अपीलग्रस्त कृषि भूमि में हित निहित न होने तथा प्रदर्श 9 के अनुसरण में अपीलग्रस्त भूमि पैत्रिक न होकर स्वार्जित होने के कारण तथा साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 53 विभाजन प्रदर्श 36 स्वीकारने, व धारा 121 विबन्ध के सिद्धांत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिधारित निर्णयज विधि 1981 ए.आई. आर. 2018 स्वीकृति सर्वोतम साक्ष्य के परिपेक्ष्य में उन द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय न होने तथा निराधार आधारों पर प्रस्तुत होने के कारण अपील संख्या 180/2022 तथा अपील संख्या 181/2022 निराधार सारहीन होने के कारण दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

वादपद/तनकी संख्या 1– आया वादी सर्वे संख्या 45 व 46 ग्राम शेखपुरा के उत्तरी 1/2 भाग तथा सर्वे संख्या 42 राजस्व ग्राम शेखपुरा के दक्षिण–पश्चिम 1/4 भाग का खातेदार कास्तकार है।

वादी

उक्त तनकी का प्रमाण भार वादी पर है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 51 एवं अपने साक्ष्य से वाद को प्रमाणित किया है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के उत्तरवाद के पैरा सं. 4 व 5 मे अजीतपुरा की सर्वे सं. 332

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

एवं मंगनाराम का 1/7 हिस्सा संयुक्त परिवार की आमदनी से खरीदना तथा उक्त भूमियों मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का समानांश हित निहित होना स्वीकृत तथ्य है पूर्वोक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर के पैरा संख्या 7 (2) मे सर्वे संख्या 332 अजीतपुरा स्थित कृषि भूमि माताश्री सदाकोर के नाम से सयुक्त परिवार में क्रय किया जाकर, भाई बंटवारा दिनांक 24.08.86 प्रदर्श 36 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आने के कारण 1993 में उक्त भूमि का विक्रय पत्र माताजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ओमप्रकाश व दयानन्द द्वारा स्वंय के पक्ष में प्रतिफल विहीन निष्पादित कराया जाना, पैरा संख्या 7(3) में 1986 के बंटवारे प्रदर्श 36 के अनुसार सत्यवीर के पक्ष में सत्यपाल से प्रतिफल विहीन विक्रय पत्र प्रतिवादी सत्यवीर द्वारा स्वंय के पक्ष में, निष्पादित कराया जाना,पैरा संख्या 7(4) में दिनांक 24.08.1986 को हुए विभाजन प्रदर्श 36 के अनुसार सर्वे संख्या 45 व 46 का दक्षिणी 1/2 भाग सत्यपाल के हिस्से में आना, पूर्वोक्त विभाजन प्रदर्श 36 में वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि वादी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा क्रय किया जाना, पक्षकारों के मध्य समानांश विभाजन को स्वीकारते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किये जाने का सूचक है। पूर्ववर्णित उत्तरवाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के शपथ पत्रों से भी प्रमाणित किया है, पैरा संख्या 14 ग्राम शेखपुरा की कृषि भूमि सर्वे संख्या 42 क्षेत्रफल 1.8300 हैक्टर का आधा भाग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पति एवं 5 से 7 के पिता द्वारा पारिवारिक विभाजन के पश्चात् क्रय किया जाना, इस सर्वे संख्या के दक्षिण–पश्चिमी 1/4 भाग पर वादी का कास्त काबिज होना, प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उत्तरवाद में स्वीकृत तथ्य है। वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमियों की फसल स्थानीय व्यक्तियों को विक्रय की जाती है। कृषि उपज मण्ड़ी में विक्रय की गई सरसों, चना, गेंहू आदि फसल विक्रय किये जाने की खरीद की प्रदर्श 10–14 की व लगान खरीद प्रदर्श 51 पत्रावली पर उपलब्ध, को प्रश्नगत न किए जाने के कारण प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति है कि उक्त भूमि वादी के कब्जे कास्त की होने का प्रमाणक साक्ष्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्वोक्त विभाजन विलेख प्रदर्श 36 को स्वीकारते हुए 1992 में पुनः विभाजन होना कहते हुए वादी के हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे संख्या 45 व 46 राजस्व ग्राम शेखपुरा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीदना कहा है, के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य अथवा साक्ष्य का पूर्णतया अभाव है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उत्तरवाद के पैरा संख्या 10 में 1992 के बंटवारे में चिड़ावा स्थित दोनों दुकानों के बंटवारे का उल्लेख होना कथित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण द्वारा नगर पालिका चिड़ावा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.1993 प्रदर्श 35 के प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षरित अपनी जिरह में स्वीकृत, पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र 31.12.1993, सन् 1992 के एक वर्ष बाद का है, में प्रतिवादीगण द्वारा दुकानों का विभाजन 31.12.1993 तक न होना स्वीकृत तथ्य है। सर्वे संख्या 42 वादी द्वारा विभाजन के बाद क्रय किया जाना तथा उसके दक्षिणी–पश्चिमी 1/4 भाग पर वादी का कास्त काबिज होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के साक्ष्य के आधार पर वादी इस तनकी को प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणाम स्वरुप राजस्व ग्राम शेखपुरा के सर्वे संख्या 45 व 46 के उतरी 1/2 भाग तथा सर्वे संख्या 42 के दक्षिणी–पश्चिमी 1/4 भाग का वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर उक्त तनकी वादी के पक्ष में वैध रूप से निर्णीत की है,साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 53 व 121 मे विहित प्रावधान के अनुसरण मे प्रतिवादी संख्या 1–7 द्वारा स्वयं के उत्तरवाद एवं न्यायालय मे प्रस्तुत साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्रों द्वारा विभाजन विलेख प्रदर्श 36 को स्वीकार किया है। उनकी स्वीकारोक्ति के कारण ही विभाजन के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की तनकी भी नही बनायी गई। यद्यपि उक्त प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे जिरह के समय स्वयं के उत्तरवाद व शपथ पत्र वकील द्वारा गलत लिखे जाने का कथन करते हुए स्वयं के वकील के कदाचरण के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न किया जाना तथा भविष्य मे भी न किए जाने की स्वीकृति प्रतिवादीगण की मौन सहमति है,कि उत्तरवाद एवं न्यायालय मे प्रस्तुत समस्त शपथ पत्र उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के कथनानुसार ही तैयार कर प्रस्तुत किए गये है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण न्यायालय मे प्रस्तुत उत्तरवाद तथा शपथ पत्रों से विबन्धित है। परिणास्वरूप वादी स्वय के खातेदारी कास्त की घोषणा का विभाजन का अनुतोष प्राप्त कर प्रतिवादीगण को स्थायी व्यादेश से पाबन्द कराने हेतु वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के स्वयं के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर उसे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

विभाजित कराने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है। पारिवारिक विभाजन प्रदर्श 36 प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत एवं मूल पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण 30 वर्षाधिक विभाजन विलेख प्रदर्श 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 92 व 121 के अनुसरण मे उक्त पारिवारिक विभाजन प्रदर्श 36 से विबन्धित है, कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के अधिकार अधियोग,आधिपत्य व खातेदारी की है, वैध रूप से निर्णीत है।

वादपद/तनकी संख्या 2–आया वादपद (तनकी) संख्या 1 मैं वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियों के उतरी अर्धाश एवं दक्षिणी पश्चिम में 1/4 भाग को पूर्वोक्तानुसार विभाजित कराकर वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है?

.....वादी

वादपद संख्या 1 में विस्तारपूर्वक वर्णित वर्णन के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे संख्या 45 व 46 के उतरी 1/2 भाग तथा सर्वे संख्या 42 के दक्षिणी–पश्चिमी 1/4 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। फलस्वरूप तदनुसार वादी पूर्वोक्त कृषि भूमि विभाजित कराने का अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी होने के कारण तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में वैध रूप से निर्णीत की है।

वादपद/तनकी संख्या 3 आया सर्वे संख्या 45 व 46 ग्राम शेखपुरा की वादग्रस्त कृषि भूमियों पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 बैंक से ऋण नहीं लिये जाने के कारण उक्त सर्वे संख्याओं के वादी के उत्तरी 1/2 भाग को प्रतिवादी संख्या 9 बैंक की रहन की प्रविष्टि हटाई जाकर वादी का पूर्वोक्त हिस्सा रहन मुक्त किया जावें।

.....वादी

परिवारिक विभाजन दिनांक 24.08.1986 प्रदर्श 36 प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत, में वर्णित अनुसार राजस्व ग्राम शेखपुरा के सर्वे संख्या 45 व 46 का उत्तरी भाग वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि के 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 बैक से ऋण लिया जाना अवैध है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षकारों के मध्य दिनांक 24.08.1986 को सम्पन्न हुए विभाजन प्रदर्श 36 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 से प्रदर्शित, प्रतिवादी संख्या 1–7 द्वारा स्वंय के उत्तरवाद एवं शपथ पत्रों द्वारा स्वीकृति के अनुसार सर्वे संख्या 45 व 46 शेखपुरा का उत्तरी 1/2 हिस्सा वादी का है, से ऋणग्रहीता प्रतिवादीगण भलीभाति सुपरिचित होने के उपरान्त उनका नाम राजस्व अभिलेख में होने का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी बैक से अवैध रूप से ऋण लेकर वादी का हिस्सा रहन किया जाना अवैध था। प्रतिवादीगण ऋण लेते समय भलीभाति सुपरिचित थे, कि सर्वे संख्या 45 व 46 शेखपुरा का उत्तरी 1/2 भाग उनका न होकर वादी का है। उन द्वारा ऋण लेना तथा बैंक द्वारा भौतिक सत्यापन के अभाव में ऋण देना सही नही था। फलस्वरूप वादी द्वारा ऋण न लिए जाने के कारण पूर्वोक्त संख्याओं के वादी के हिस्से को रहन मुक्त किया जाना उचित होने के कारण उक्त वादपद वादी के पक्ष मे सही निर्णीत किया है। प्रतिवादी बैंक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित है। बैंक द्वारा एक पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर स्वंय के ऋण का संरक्षण चाहा है। फलस्वरूप बैंक की राशि को संरक्षित किया जाना आवश्यक होने के कारण प्रतिवादी बैंक प्रतिवादीगण की अजीतपुरा स्थित वादपत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित कृषि भूमि या अन्य सम्पत्तियों को रहन कर स्वंय के ऋण का भुगतान प्रतिवादीगण से सुनिश्चित करे। वादग्रस्त कृषि भूमियों वादी के 1/2 सुनिश्चित हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से लिए गये ऋण की रहन प्रविष्टि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से हटाये जाने का आदेश वैध रूप से दिया गया है।

वादपद/तनकी संख्या 4 आया वादपद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों का वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 1992 में क्रय किये जाने के कारण राजस्व अभिलेख से वादी का नाम हटाया जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा मे 1992 के विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1–7 के अधिकार सुरक्षित करवाये जाने का अनुतोष चाहा है। 1992 का विभाजन प्रस्तुत नही हुआ। तथाकथित 1992 के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी का 1/2 हिस्सा विभाजन विलेख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 24.08.86 प्रदर्श 36 से वादी को प्राप्त, क्रय किया जाना कहते हुए स्वयं की खातेदारी का अनुतोश न चाहते हुए प्रतिवादी संख्या 1–7 के हित सुरक्षित रखे जाने का अनुतोष चाहने, प्रतिवादी ओमप्रकाश व दयानन्द द्वारा स्वयं की जिरह मे काउण्टर क्लेम सत्यापित न किया जाना शपथ पूर्वक स्वीकार किए जाने, धर्मव्रत शास्त्री 7 द्वारा स्वयं 1992 का बंटवारा न होना शपथपूर्वक कथन किए जाने, काउण्टर क्लेम का सत्यापन ओमप्रकाश व दयानन्द द्वारा न किए जाने आदि प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के उत्तरवांद एवं शपथ पत्रों मे 1992 के विभाजन मे चिडावा स्थित दोनों दुकानों के बंटवारे का कथन कहा है, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा 31.12.93 को नगरपालिका चिडावा मे प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श –35 मे 1992 के 1 वर्षाधिक पश्चात प्रस्तुत आवेदन मे प्रतिवादीगण द्वारा दुकानों का विभाजन न होना, अंकित करना प्रतिवादीगण की स्वीकृति है कि –1992 का किसी प्रकार का कोई विभाजन नही हुआ। धर्मव्रत शास्त्री 7 द्वारा स्वयं के शपथ पत्र प्रदर्श 48 के पैरा संख्या 2 मे उक्त विभाजन का उल्लेख किया है परन्तु इस साक्षी द्वारा स्वयं की जिरह मे उक्त पैरा 2 अशुद्ध लिखा होना स्वीकारते हुए 1992 के तथाकथित बंटवारे को अस्वीकार किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 व 115 में विहित प्रावधान के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1–7 द्वारा स्वंय के उत्तरवाद एवं न्यायालय में साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों द्वारा विभाजन विलेख प्रदर्श 36 को स्वीकार किया है। उनकी स्वीकारोक्ति के कारण ही विभाजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तनकी भी नही बनाई गई। प्रतिवादीगण किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वंय के मौखिक साक्ष्य से 1992 के विभाजन को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे है। फलस्वरूप उक्त वादपद संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में सही निर्णीत किया है।

वादपद/तनकी संख्या –5 आया वादग्रस्त कृशि भूमियां पैतृक होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 11 से 13 वादग्रस्त सम्पत्तियों मे हित निहित है?

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादपत्र के पैरा संख्या 2 मे वर्णितानुसार वादग्रस्त कृषि भूमि स्वार्जित कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि का प्रतिफल राशि का चालान प्रदर्श 9 के माध्यम से वादी द्वारा जमा करायी है, प्रदर्श 9 के हस्ताक्षर के कॉलम मे क से ख हस्ताक्षर वादी के हैं वादी से उक्त प्रतिफल राशि वादी द्वारा जमा कराने के सम्बन्ध मे किसी प्रतिकूल प्रतिपृच्छा के अभाव में प्रदर्श 9 प्रतिवादीगण की स्वकारोक्ति है। फलस्वरूप वादग्रस्त कृषि भूमियां स्वार्जित हैं। वाद का विवाद्यक विषय वाद के पैरा संख्या 13 एवं अनुतोष मे वर्णितानुसार सर्वे संख्या 45,46 व 42 राजस्व ग्राम शेखपुरा की कृषि भूमियों तक सीमित है। वाद मे पैतृक उत्तराधिकार मे प्राप्त कृषि भूमि का अंकन पैरा संख्या 2 मे ही है। यह बडी हास्यास्पद विचित्र स्थिति है कि प्रतिवादी संख्या 11 से 13 वादी के हिस्से की सर्वे संख्या 45 व 46 राजस्व ग्राम शेखपुरा के 1/2 भाग कृषि भूमि वादी की स्वार्जित कृषि भूमि मे हित निहित होना कथित कर रहे है। वादी द्वारा स्वयं के शपथपत्र में पारिवारिक विभाजन 24.08.1986 से प्रतिवादी संख्या 11 से 13 पूर्णतया सुपरिचित होना शपथपूर्वक कथित किया है, को अस्वीकार न किये जाने के कारण उनकी मौन सहमति है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि से पूर्णतया असम्बद्ध है। वादपत्र मे अंकित पैतृक उत्तराधिकर मे प्राप्त कृषि भूमियों मे हिस्सा न मांगना केवल मात्र वादी के हिस्से की भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने की मांग भी ध्यातव्य है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 9 व्य. प्र.सं. दिनांक 10.02.2017 मे स्वर्गीय विद्यावती के पति प्रतिवादी संख्या 11 को उत्तराधिकार मे कोई हिस्सा न मिलना लिखित स्वीकृति है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा स्व. विद्यावति के विधिक प्रतिनिधियों को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाये जाने के निवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी संख्या 2017/2997 ओमप्रकाश विरूद्ध वेदपाल शास्त्री व अन्य के निर्णय दिनांक 01.06.2017 प्रदर्श 37 विद्यावती अभिलिखित खातेदार न होने के कारण विभाजन के वाद मे आवश्यक पक्षकार न होना निर्णीत किया जा चुका है। उक्त निर्णय को आदिनांक चुनोति न दिए जाने के कारण उनकी मौन सहमति है कि प्रतिवादी संख्या 11–13 प्रकरण मे हित निहित पक्षकार न होने के कारण उक्त वाद से पूर्णतया असम्बद्ध होने के कारण उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध सही निर्णीत की है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 व 2 मे निहित होने के दुराशय से वाद खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है। स्वयं की खातेदारी की मांग नही की गई है। फलस्वरूप वादी द्वारा स्वयं के शपथपत्र मे उनके स्वर्गीय पिताजी द्वारा 50,000/– रूपयें का ऋण छोडा जाना पवित्र दायित्व के तहत भूमि विकास बैंक प्रदर्श 15–26 के माध्यम से वादी द्वारा उक्त ऋण का भुगतान किया जाना, जमादार भगवानाराम आदि विभिन्न व्यक्तियों से स्वं पिताजी द्वारा लिये ऋण के भुगतान की चर्चा प्रतिवादी संख्या 11 से 13 द्वारा कभी भी न किया जाना, स्वर्गीय पिताजी की मृत्यु के 4 दशक पश्चात वादी के हिस्से मे आयी भूमि के वादी के वाद मे हित निहित न होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोश चाहा जाना, वादग्रस्त कृषि भूमियों से प्रतिवादीगण का पूर्णतया असम्बद्ध होना प्रमाणित होने के कारण उक्त वादपद/तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की है।

वादपद/तनकी संख्या 6 अनुतोष पूर्व वर्णित विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत निराधार एवं वैध रूप से प्रस्तुत न किया गया प्रतिदावा अस्वीकार किया जाना वैध रूप से निर्णीत किया है। प्रतिवादी संख्या 11 से 13 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 प्रदर्श 37 के अनुसार वे प्रकरण मे हित निहित पक्षकार न होने, तथा उन द्वारा केवल मात्र वाद को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहे जाने के कारण वाद वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वादी को सर्वे संख्या 45 व 46 के उत्तरी 1/2 भाग व सर्वे संख्या 42 के दक्षिण –पश्चिमी 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को सर्वे संख्या 45 व 46 के दक्षिण 1/2 भाग का तथा सर्वे संख्या 42 के उत्तर पश्चिमी 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार वैध रूप से घोषित किया है, तदनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि विभाजित की जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी व्यादेश से पाबन्द किया है, कि वे वादी के खातेदारी कास्त की सर्वे संख्या 45 व 46 शेखपुरा के उत्तरी 1/2 भाग व सर्वे संख्या 42 शेखपुरा के दक्षिण पश्चिमी 1/4 भाग मे प्रवेश न करें तथा वादी के अधिकार अभियोग व आधिपत्य मे किसी प्रकार का व्यवधान कारित न करे। तहसीलदार चिडावा को आदेशित किया है, कि वह पूर्व वर्णित अनुसार वादी की खातेदारी कास्त की कृषि भूमियों का राजस्व अभिलेख संशोधित कर तदनुसार उक्त कृषि भूमियों को विभाजित कर पृथकशः सर्वे संख्या एवं लगान निर्धारित कर वादी के उत्तरी 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा लिये गये ऋण से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रहन मुक्त कर रहन की प्रविष्टि हटाकर समस्त राजस्व अभिलेख संशोधित कर देवें।

प्रतिवादी संख्या 9 को आदेशित किया है, कि सर्वे संख्या 45 व 46 शेखपुरा पर प्रतिवादीगण को दिये गये ऋण की सुरक्षा हेतु वह प्रतिवादीगण की अजीतपुरा, शेखपुरा की अन्य कृषि भूमियों या चिडावा मे स्थित अन्य सम्पत्तियों को रहन कर स्वयं के ऋण को सुरक्षित किया जना वैध रूप से निर्णीत कर ड़िकी पारित की है। प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से फलस्वरूप उसे न्यायालय के निर्णय से सूचित किया जाना वैध रूप से निर्णीत कर वाद में अन्तिम ड़िक्री पारित की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने विवाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर